

प्रेषक,

श्री अवोक गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

तेवा मैं

सचिव,
ईन्डीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्,
शिक्षा केन्द्र 2 तमाम प्रदेश
प्रीति विहार नई दिल्ली।

शिक्षा 171 अनुभाग

तर्फ़नुः दिनांक: 20 अप्रैल, 1995

विषय:- महर्षि विद्या मन्दिर पार्किंग स्कॉल अल्मोड़ा को तीर्थीय स्थान दिल्ली से तस्विर भेजु जापति प्रमाण पत्र दिये जानेके सम्बन्ध में।


महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निश्चय हुआ है कि महर्षि विद्या मन्दिर अल्मोड़ा को तीर्थीय स्थान नई दिल्ली से तस्विर भेजु जापति प्रमाण पत्र दिये जानेके इस राज्य तरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

- 1- विद्यालय की पैरिशृंखला का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित सक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुशूलित जाति/अनुशूलित जनजाति के बच्चों के लिए तुरधित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा संवादित विद्यालयों में विभिन्न बद्धाज्ञानों के लिए निर्धारित मूल्क से अधिक शूलक नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य तरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और पाटि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् ते/विभिन्न शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा पारिषद्/कौसिल फार दि ईडियन स्कूल तटी-फिकेट इवजामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस बरीका परिषद् से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से पारिषद् से मान्यता तथा राज्य तरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 5- संस्था शैक्षिक स्वं शिक्षणेत्तर कर्मियारियों को राजकार्य तहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाज्ञानों के कर्मियारियों को अनुमन्य पेतनमानों तथा अन्य भूतों से कम देतनमान तथा अन्य भूतों नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मियारियों की तेवा इति बनायी जायेगी और उन्हें तहायता प्राप्त ज्ञानसंकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मियारियों की अनुमन्य तेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेगे।

- 7- राज्य सरकार द्वारा तमा पर जो भी आदेश निर्णय किए जाएं तेस्या उनका पालन करेगी ।
- 8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाजॉर्ड में रखा जायेगा ।
- 9- उच्च शतांश में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

- 2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि तेस्या द्वारा यह तुनिश्चियत किया जाय कि विद्यालय में ईपी०ए० पोजना तमस्त कर्मारियौं के लिए लालू की सहायता हो ।
- 3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना तेस्या के लिए अनिवार्य होगा और यदि कली तमा यह पाया जाता है कि तेस्या द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है तब यह पालन करने के लिए प्रकार की घूक या शिक्षिता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

नवदीय,

 अशोक गाँगुली ।
 उप तथिव ।


पृ० ००

11/15-7-1995 तदेवितांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ स्व आवश्यक कार्यकारी देहु प्रेषित :-

- 1- शिर्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
- 2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक कुमार्यू मण्डल नैनीताल ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक अल्मोड़ा ।
- 4- निरीक्षक, झाँगल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
- 5- प्रबन्धक, महार्षि विद्या मन्दिर पर्याकरण लखनऊ अल्मोड़ा ।

आशा है,


 अशोक गाँगुली ।
 उप तथिव ।

Principat
 Sharishik Vidya Mandir
 Sr. Sec. School
 Almora (U.K.)